उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० ई-नीलामी सूचना विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, दही चौकी, उन्नाव पर उपलब्ध स्कैप सामग्री को विकय किये जाने हेतु M/s M.S.T.C. द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ई-नीलामी के लिए बोली लगाये जाने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :- 1. M S T C / L K O / U T T A R PRADESH POWER TRANS-MISSION CORPORATION L I M I T E D / 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 / U N N A O / 2 6 - 2 7 / 3 5 2 4 6 , 35253,35256,35262.: ई-ऑक्शन, दिनांक 14.10.2026; उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित नीलामी सूची तथा अन्य नियम व शर्तें M/s M.S.T.C. की वेबसाइट:- www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं। नीलामी से सम्बन्धित जानकारी और संशोधन (यदि कोई हो, तो) केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, दही चौकी, उन्नाव ई-मेल:-ee400unnao@upptcl.org/ मोबाइल नम्बर-9450909439 पर सम्पर्क करें। **हस्ता./- अधिशाषी अभियन्ता विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव, "राष्ट्र हित में उर्जा बचायें" पत्रांक/ Ref. No. 208/ ई०एस०डी०यू० / ESDU / दिनांक / Dated: 06/10/2026**

मांग सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आई आईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किए गए, जिसमें उधारकर्ताओं से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर उधारकर्ता को नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि, डिमांड नोटिस की तारीख से अतिरिक्त ब्याज सहित भुगतान करें। भुगतान की तिथि तक उधारकर्ता का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि के अनुसार देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा इस प्रकार है: –

उधारकर्ता (ओं) / गारंटर(ओं) / के नाम.	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्री दिनेश सिंह कुशवाहा श्रीमती सुनैना पत्नी दिनेश सिंह कुशवाहा **(प्रॉस्पेक्ट नं. 760001)**	**10–सितम्बर–2026, रु.2271160.91/–** (रुपये बाईस लाख ईकहत्तर हजार एक सौ साठ रुपये एवं ईकायानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल जो इस प्रकार है: प्लॉट नं. 3, आराजी नं. 732, ग्राम अर्रा, तहसील परगना, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश, 208001 क्षेत्रफल एक (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि–क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, कारपेट –क्षेत्रफल, सुपर:बिल्ट–अप–क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 2142.00, 2248.00, 2024.00, 2248.00
श्री आनंद कुमार तिवारी श्रीमती ऐश्वर्या तिवारी आनंद कुमार **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL10119670)**	**08–सितंबर–2026, रु. 809872/–** (रुपये आठ लाख नौ हजार आठ सौ बहत्तर रुपये मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो है: हाउस नं. 316/1, आराजी नं. 316 का भाग, मौजा खंडेयपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश 208001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल–माप संपत्ति क्षेत्रफल: 450
श्री राजू गुप्ता श्रीमती शकुंतला गुप्ता महावीर जनरल स्टोर **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL10281741)**	**25–सितंबर–2026, रु.1313716.61/–** (रुपये तेरह लाख तेरह हजार सात सौ सोलह रुपये और इकसठ पैसे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो है: भूमि नं. 1010, शिव नगर, ग्राम राजेपुर, पीतांबर नगर, उन्नाव जिला एवं तहसील, उत्तर प्रदेश, 209801 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित–क्षेत्र, कारपेट–क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल: 595.00, 892.00, 758.00
श्री सच्चिदानंद तिवारी श्रीमती निशा तिवारी सच्चिदानंद किराना **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL11000161)**	**08–सितंबर–2026, रु.1129067.96/–** (रुपये ग्यारह लाख उनतीस हजार सड़सठ रुपये और छियानवे पैसे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो हैरू संपत्ति – प्लॉट, गाटा नं. 651, कादीपुर, हवेली अवध, जिला अयोध्या, 224127 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल–माप संपत्ति क्षेत्रफल: 1534
श्री सुमित कुमार शर्मा श्रीमती शिवांगी सिंह **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL10877586)**	**09–सितंबर–2026, रु.2162393/–** (रुपये इक्कीस लाख बासठ हजार तीन सौ तिरानवे रुपये मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो है: टी पी नं. 21/1108, ग्राम चिनौर, परगना एवं तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, 242001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि–क्षेत्र, कारपेट– क्षेत्र, सुपर–बिल्ट–अप–क्षेत्र संपत्ति क्षेत्रफल: 646.00, 900.00, 1088.00
श्री अवधेश चौधरी काल्लू बॉडी मेकर श्रीमती संध्या चौधरी **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL10891573)**	**08–सितंबर–2026, रु.1277277.03/–** (रुपये बारह लाख सतहत्तर हजार दो सौ सतहत्तर रुपये और तीन पैसे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो है: संपत्ति आराजी नं. 771, मौजा नौशाद टप्पा रेट, परगना भोआपार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 273158 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल– माप संपत्ति क्षेत्रफल: 671
श्री विजय श्रीमती नेहा विजय किसान **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL10977434)**	**08–सितंबर–2026, रु.1651309.78/–** (रुपये सोलह लाख इक्यावन हजार तीन सौ नौ रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र)	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं पार्सल, जो है: संपत्ति खसरा नं.38, ग्राम नरौ खुर्द, जिला–बदायूँ, उत्तर प्रदेश 243601 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल–माप संपत्ति क्षेत्रफल: 897

यदि उक्त उधारकर्ता उपरोक्तानुसार आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर कार्रवाई कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय में प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: शाखा कार्यालय: 1017, दसवीं मंजिल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 और टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 कॉर्पोरेट कार्यालय: आईआईएफएल टॉवर , प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव, हरियाणा

स्थानः लखनऊ **हस्ताक्षरित/– अधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 07.10.2026 **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड की ओर से.**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS — FINANCIAL EXPRESS

भारतीय स्टेट बैंक — मांग सूचना

एस.एम.ई. सेंटर, आस्तियाँ वसूली प्रभाग, हबीबुल्ला एस्टेट, हजरतगंज, लखनऊ–226001
ई–मेल : sbi.05029@sbi.co.in, फोन : 0522–2201549

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अग्रलिखित ऋणियों जिन्होंने अपने ऋण व ब्याज का भुगतान नहीं किया है, जिनका ऋण अब एनपीए हो चुका है, को एक नोटिस जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी किया गया था जो कि **अवितरित/लेने से मना किया व वापस** कर दिया गया है। इसलिए हम उन ऋणियों को दूसरी बार इस पब्लिक नोटिस द्वारा सूचित करते है कि वे ऋण की रकम को ब्याज व अन्य खर्चों सहित जैसा कि नोटिस में वर्णित है, इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान कर दे अन्यथा बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कार्यवाही करने को बाध्य होगा।

आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के अंतर्गत आकर्षित करते हुये ऋणकर्ता/जमानतकर्ता को सचेत किया जाता है कि आप प्रतिभूति आस्तियों को मोचन कराने हेतु उपलब्ध समय सीमा का अवश्य संज्ञान लें।

क्र. सं.	ऋणी व जमानतकर्ता का नाम व पता/खाता सं./शाखा	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया धनराशि 13(2) नोटिस के अनुसार	एनपीए की तिथि मांग सूचना की तिथि
1.	**मेसर्स एस.एस. कंस्ट्रक्शन्स (ऋणी), प्रोप्राइटर श्री शशि शंकर सिंह**, पता–1– डी 1077, डी ब्लॉक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, पिन–226001 पता–2– शांति निकेतन, हाउस नं. 357, पौहारी बाबा मंदिर के सामने, हरपुर, बलिया–277001 **श्री शशि शंकर सिंह (प्रोप्राइटर एवं जमानतकर्ता), पुत्र श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह**, पता–1– जैतीपुर, सहोदिह, साहो डीह, बलिया, उ. प्र.–277210 पता–2– फ्लैट नं. पीजे/1101/ए–3, 11वीं मंजिल, ब्लॉक ए–3, पारिजात अपार्टमेंट, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 पता–3– शांति निकेतन, हाउस नं.–357, पौहारी बाबा मंदिर के सामने, हरपुर, बलिया–277001 **सीसी खाता सं. 43627212289** **शाखा–एम.जी. मार्ग शाखा (6496), लखनऊ**	**सम्पत्ति श्री शशि शंकर सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह के नाम पर** फ्लैट नं.– पीजे/1101/ए–3, 11वीं मंजिल, ब्लॉक–ए–3, तीन बेडरूम+स्टडी, पारिजात अपार्टमेंट, विक्रांत खंड, गोमती नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ सेल डीड बही नं.–1, जिल्द नं. 27567, पृष्ठ 221–242, क्रमांक नं. 6367, दिनांक 22.06.2024, सब–रजिस्ट्रार–I, लखनऊ **निर्मित क्षेत्रफल– 142.92 वर्ग मीटर एवं सुपर क्षेत्रफल–163.68 वर्ग मीटर, आनुपातिक भूमि क्षेत्रफल 39.41 वर्ग मीटर** **चौहद्दी:–ऊपर–** पीजे/1201/ए–3/3 बीएचके+ स्टडी, **नीचे–** पीजे/1001/ए–3/3 बीएचके+ स्टडी, **सन्निकट–** पीजे/1102/ए–3/3 बीएचके+ स्टडी एवं लिफ्ट	रू. **59,47,038.92** 21.09.2026 तक +ब्याज एवं अन्य खर्च	**21.09.2026** **22.09.2026**

दिनांक: 07.10.2026 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: नंबर 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई – 600015
शाखा कार्यालय : 124/ओ/64, पॉपुलर धर्म कांटा के पास, गोविंद नगर, कानपुर–208006
ई–मेल: **auction@hindujahousingfinance.com**

आरएलएम – **श्री ब्रजेश कुमार अवस्थी** 9918300185
आरआरएम – **श्री पुष्कर अवस्थी** 9453043399, **जेआरएम – उमेश सिंह चौहान** 9838202386

परिशिष्ट– IV ए [नियम 8(6) के प्रावधान देखें] ई–नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट– IV ए) (नियम 8(6))

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167–169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई – 600015 में है और इसका एक कार्यालय: 124/ओ/64, लोकप्रिय धर्म कांटा के पास, गोविंद नगर, कानपुर–208006 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूत लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है'** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइट: **https://www.bankeauctions.com** तथा **auction@hindujahousingfinance.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : 20.10.2026 11:00 बजे–14:00 बजे
ईएमडी की अन्तिम तिथि : 21.10.2026 को 17:00 बजे तक
ई–नीलामी की तिथि/समय : 22.10.2026 को 11:00 बजे–13:00 बजे

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या तथा कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम	धारा 13(2) के तहत माँग सूचना तिथि तथा राशि / तिथि तक बकाया	कब्जे की तिथि तथा प्रकार	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	**UP/KNP/FTHR/A000000048** 1. श्री आजाद कुमार मंडोलवार (कर्जदार) 2. श्रीमती अंकिता मंडोलवार (सह–कर्जदार)	25.02.2025 **तथा रु.** 1331845/– **तिथि** 25.02.2025 **रु.** 1331845/–	30.09.2026 **भौतिक कब्जा**	रु. 1205100/– रु. 120510/– रु. 10,000/–
	अचल संपत्ति का विवरण: स्थान– पता– मकान, आराजी नंबर 226, गाँव त्रिलोकीपुर, हरिहरगंज तहसील और ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, पिन– 212601। क्षेत्रफल–91.97 वर्ग मीटर। दिशा/सीमाएँ: पूर्व– परमात्मा देवी का मकान, पश्चिम– माया देवी का प्लॉट, उत्तर– 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण– दूसरों का खेत।			

भुगतान का तरीका: सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर कानपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाएंगे।

ऑनलाइन ई–नीलामी की नियम एवं शर्तें:– 1. संपत्ति **'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित'** आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभूत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभूत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभूत ऋणदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पूछताछ/ड्यू डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल **https://www.bankeauctions.com** वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाकर ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभूत ऋणदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 6. ई–नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुड़गांव, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नं.: +91–124–4302000 सहायता ईमेल: **Support@bankeauctions.com**, सहायता मोबाइल नंबर:– 7291981124/1125/1126) श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल– 7080804466, ईमेल: **Mithalesh.kumar@c1india.com**, **delhi@c1india.com** से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। 8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मूल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से 17.02.2026 तक जमा करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी सुश्री सोनम मिश्रा, क्षेत्रीय कार्यालय संख्या हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड– 9वीं मंजिल, यूनिट संख्या – 910, प्लॉट संख्या – टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ, उ.प्र. – 226010 को संबोधित करके जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर 'ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली – संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। 9. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और प्रतिभूत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलौजीज़ लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर–से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें। 10. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई–नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 11. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 12. ई–नीलामी की कार्रवाई बंद होने के तुरंत बाद, अधिकतम बोलीदाता को अपने द्वारा बताई गई बोली की अन्तिम राशि की पुष्टि ई–मेल से करनी होगी। इसके लिए उसे प्राधिकृत अधिकारी (**auction@hindujahousingfinance.com**), क्षेत्रीय कार्यालय नंबर हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड – 9वीं मंज़िल, यूनिट नंबर – 910, प्लॉट नंबर – टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उ.प्र. – 226010 और सेवा प्रदाता को भेजना होगा ताकि उसे ई–नीलामी बिक्री की कार्रवाई में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके। 13. सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसके पक्ष में जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में जमा करनी होगी। 14. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 15. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 16. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री आय में से) के रूप में देना होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करनी होगी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करना होगा, या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य विस्तारित समय के भीतर, ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। 17. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 18. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मूल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 19. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 21. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 22. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 23. अधिक जानकारी और पूछताछ के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी से ई–मेल: **auction@hindujahousingfinance.com** पर संपर्क करें। 24. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 15 (पन्द्रह) दिन का नोटिस भी है।

दिनांक : 07.10.2026, स्थान : कानपुर प्राधिकृत अधिकारी,, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

विशेष निर्देश/चेतावनी: बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक–अप बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

purple FINANCE

Office: Purple Finance Ltd., 705/706, 7th Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dnyaneshwar Marg, Bandra (East), Mumbai-400051. **Tel.:** 022-69165123, **Website:** www.purplefinance.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने पर्पल फाइनेंस लिमिटेड (पीएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत एक मांग सूचना निम्नवर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने को कहा गया था जबकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, अतः इसके द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने, उक्त "(अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत तथा उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को इसके द्वारा सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति के संबंध में कोई लेन–देन न करें और इस संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन, नीचे प्रत्येक संबंधित संपत्ति के लिए उल्लिखित 'पर्पल फाइनेंस लिमिटेड' के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/ ऋण खाता सं. / शाखा का नाम	सुरक्षित आस्ति का विवरण, जिसके संबंध में हित सृजित किया गया है	मांग नोटिस भेजने की तिथि और बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि
1	1. संत मिलन (कर्जदार) 2. सुधा जी (सह–कर्जदार) लैन: PFLSLLK00001029 शाखा: लखनऊ	प्लॉट नंबर–196 पर मकान, आबादी गैर नंबर–273 का हिस्सा, क्षेत्रफल 139.64 वर्ग मी. ग्राम अमरा, तहसील सैरौली गौसपुर जिला बाराबंकी, उ.प्र. 2252052 सीमाएँ: पूर्व– शिव विलास, पश्चिम–रोड दक्षिण–रोड़ उत्तर–जैस राम	15.07.2026 और रु. 509296/-	29-09-2026

तिथि: 07.10.2026, स्थान: बाराबंकी हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, पर्पल फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK

We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, 4थी मंजिल, क्रेसेंट हाइट्स, अमर शहीद पथ, अंसल लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226030

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1))

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लि.** के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 19-02-2024 को मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों: **1. श्री अरुण कुमार, पुत्र श्री कुंवर बहादुर सिंह (ऋणधारक एवं बंधककर्ता) तथा 2. श्रीमती नीलम देवी, पत्नी श्री अरुण कुमार (सह–ऋणधारक)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 38,58,029/- (अड़तीस लाख अट्ठावन हजार उनतीस रुपये मात्र)** के भ